न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00188 (188/2019) 225 आरटीएक्ट

मनीराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ –अपीलाण्ट

बनाम

1. बलराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. औमप्रकाश पुत्र मामराज निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. विजय सिंह पुत्र पृथ्वीराज } अकवाम जाट निवासी गोलूवाला निवादान
5. राजेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.09.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा बअनवानी मनीराम बनाम बलराम आदि

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1, 3, 4, 5

श्री कुलदीप सिह धालीवाला रेस्पो0 सं0 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 6

निर्णय दिनांकः–03.01.2020

1. अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि उसके नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 24 जेआरके के प. नं. 23/248 (15) किला नं. 21/1/.025, 16 ता 19/1.012 है0 नहरी मय खाला, 20/1 की .076, 21/.038 है. 22 ता 25/1.012 है. नहरी मय खाला

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किला नं. 2/1/.238 है., भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस भूमि में किला नं. 2/1 की 0.038 है. भूमि व किला नं. 21 की 0.038 है. भूमि जरिये दानपत्र बलराम व औमप्रकाश से ली हुई है, जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन नही हुआ है। प्रार्थी के नाम 11/2 में दर्ज 0.076 है0 भूमि जरिये दानपत्र राजेश पुत्र पृथ्वीराज व औमप्रकाश पुत्र मामराज को दे दी है जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं हुआ है।

2. अप्रार्थी सं0 1 बलीराम के नाम चक 24 जेआरके के प. नं. 23/238 (15) किला नं. 1/1.253, 2/1/.013, 10/.038 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किला नं. 10 में 0.038 है. भूमि बलराम को जरिये दानपत्र विजय सिंह से प्राप्त हुई जिसका अभी राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं हुआ है।
3. इसी चक के प. नं. 23/248 (15) किला नं. 2/2/.202, 3/.026, 8/.025, 9/.253, 12/2/.228, 13/.253 कुल 0.987 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
4. प्रार्थना–पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित भूमि के मु. नं. 15 के चिपते ही उत्तर दिशा के मु. नं. 12 में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 में पक्की सड़क बनी हुई है जो गोलूवाला कैंची को जाती है। मुताबिक मौका यह सड़क किला नं. 21 में घुमावदार हे। मु0 नं0 15 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में सरकारी खाला है जो मौके पर चालू है।
5. प्रार्थी के किला नं. 2/1 में 0.038 हे0 व किला नं. 12/1 में 0.025 है0 भूमि है इसके अलावा प्रार्थी की किलानं. 16 ता 20, 22 ता 25 में भूमि है। प्रार्थी अपने किला नं. 16 ता 20, 22 ता 25 की भूमि में मु. नं. 15 में चालू व स्वीकृत पक्की सड़क से होकर अपने किला नं. 2 में स्थित भूमि व अप्रार्थी सं0 1 बलराम के नाम दर्ज 0.013 है. भूमि से अप्रा र्थी सं0 2 राजेन्द्र के किलानं. 9 की 0.051 है. व किला नं. 12 में प्रार्थी की 0.025 है. अप्रार्थी सं0 2 राजेन्द्र कुमार की 0.026 है. भूमि को बतौर रास्ता उपयोग करते हुए अपने भूमि में प्रवेश करता है। यह रास्ता स्वीकृत नहीं है। इस रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं होने है। प्रश्नगत रास्ता सुविधाजनक व नजदीक है। इस रास्ता में प्रार्थी की 0.038 है. व 0.025 है. भूमि है व शेष भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 की है। प्रार्थी/अपीलाण्ट चक 24 जेआरके के प. नं. 23/248 (15) किलानं. 2, 9, 12 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण प्रत्येक में 0.051 है. रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष मांगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अप्रार्थी सं0 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दुर्भावनापूर्वक आशय से तथा प्रार्थी की भूमि के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुझ अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपनी भूमि संपरिवर्तित की कार्यवाही को रोकने के आशय से प्रस्तुत किया गया होने से खारिज होने योग्य है। चक नं. 24 जेआरके के प. नं. 23/248 का किला नं. 2/1/.038 है. व किला नं. 21/.038 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज नहीं है। यह भूमि बलराम व औमप्रकाश द्वारा दान में दिये जाने व किला नं. 11/2/.076 है. भूमि प्रार्थी द्वारा राजेश पुत्र पृथ्वीराज व औमप्रकाश पुत्र मामराज को दान में दिये जाने की मुझ अप्रार्थी को कोई जानकारी नही है तथापि बलराम व औमप्रकाश द्वारा अपनी भूमि बैंक के पक्ष में रहन की गई होने के कारण बलराम व औमप्रकाश को रहन मुक्त करवाये बिना दानपत्र निष्पादित करवाने का कानून कोई अधिकार नहीं है ऐसा दानपत्र विधि विरूद्ध होने के कारण ही दानपत्र के आधार पर आज तक भूमि राजेश व औमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई। अप्रार्थी सं0 1 को चक 24 जेआरके प. नं. 23/248 का किला नं. 10/.038 है. भूमि विजय सिह द्वारा बलराम को दान में दी जाने के कथनों की मुझ अप्रार्थी को जानीकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 4 में वर्णित भूमि प्रार्थी मनीराम के भाई महावीर प्रसाद के स्वामित्व की भूहम थी जो महावीर प्रसाद द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 03.05.2019 को मुझ अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय की गई है। प्रार्थी चक 24 जेआरके प. नं. 23/248 के किला नं. 2, 9, 12 की भूमि से कभी कोई आवागमन नहीं कर रहा है न ही उक्त भूमि का कभी प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में उपयेाग किया गयां। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण अपनी भूमि के लिए प. नं. 22/248 के किला नं. 5, 6, 15, 16 में पुराने चल आ रहे रास्ते से ही आवागमन कर रहे है। अप्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थी सं0 2 को किया गया तब किला नं. 9, 12 में किसी रूप में कोई रास्ता चालू नहीं था तथा दिनांक 03.05. 2019 को महावीर प्रसाद द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के भाई औमप्रकाश को जरिये बैयनामा विक्रय की गई प. नं. 23/248 के किला नं. 2/2/.202, 3 की 0.455 है. भूमि में किसी रूप में रास्ता चालू नहीं रहा है। अप्रार्थी सं0 1 व उसके भाई ओमप्रकाश ने अपने द्वारा खरीद की गई चक 24 जेआरके प. नं. 23/248 की .228 है. भूमि का आपस में तबादला किया गया। दिनांक 20.06.2019 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तबादला में प्रार्थी सं0 2 को प. नं. 23/248 का किला नं. 2/2/.202, 2/.026 कुल .228 है. भूमि व औमप्रकाश को प. नं. 23/248 के किला नं. 8/.2287 कुल 0.228 है0. भूमि प्राप्त हुई इस प्रकार अप्रार्थी सं0 2 क नाम 24 जेआरके प. नं. 23/248 की कुल 0.987 है. भूमि अप्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थी सं02 ने प. नं. 23/248 की 0.761 है. भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु माननीय जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन किया हुआ है जिसकी कार्यवाही को रूकवाने के लिए बदयान्ति व लालच पैदा हो गया। संपरिवर्तन की कार्यवाही को रोकने के लिए सिविल न्यायाधीश पीलींबगा मे एक सिविल वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कोई स्थगन प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपस में भूमि के दानपत्र निष्पादित किये तथा प्रार्थी व अन्य की भूमि में आवागमन हेतु चल रहे रास्ता की भूमि में रास्ते के स्थान पर फसल काश्त कर अवरूद्ध कर दिया तथा प्रार्थी की भूमि में पूर्व दिशा में मण्डी गोलूवाला की आबादी स्थिति है जहां प्रार्थी का रिहायशी मकान बना हुआ है, जिसमें प्रार्थी निवास करता है।प्रार्थी ने अपने भाई महावीर प्रसाद व अपने भाई बलीराम , औमप्रकाश व अपने भतिजे विजयसिंह व राजेश की भूमि में से रास्ते की मांग नहीं कर अप्रार्थी की भूमि के किला नं. 9 व 12 में रास्ता मांगा है जो महज संपरिवर्तन की कार्यवाही को रोकने के लिए ही मांगा गया है। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया।विचारण न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अपीलाण्ट खारिज किया, जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2/प्रत्यर्थी सं0 2 और उसके भाई औमप्रकाश के नाम जो भूमि दर्ज है वह प. नं. 23/248 की भूमि अपीलार्थी के भाई महावीर ने उन्हें पंजिकृत बैयनामा दिनांक 03.05.2019 को विक्रय की है व अप्रार्थी सं0 2 ने खरीदशुदा भूमि 0.761 है0. नहरी भूमि का वाणिज्यिक भूमि में संपरिवर्तन करवाने की कार्यवाही जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष की है। जिसके साथ पटवारी हल्का के द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसमें किला नं. 9 व 12 में किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं दर्शाया गया है तथा इसी मु.के किला नं. 12 में अप्रार्थी सं0 2 की .228 है0. के दक्षिण दिशा में अन्य काश्तकारों की भूमि को दर्शाया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

इस सम्बन्ध में वाणिज्यिक भूमि में संपरिवर्तन करवाने की स्थिति में पटवारी हल्का को वही रासते दर्शाने होते हैं जो कि राजस्व अभिलेख में बतौर गैर मुमकिन भूमि के रूप के रूप नामान्तरित हैं। किला नं. 12 के दक्षिण में अन्य काश्तकारों को दर्शाया जाना एक असद्भावी रिपोर्ट का होना प्रमाणित है जबकि किला नं. 12 के दक्षिण में अपीलार्थी की भूमि रिकार्ड में दर्ज है। जाहिर है कि पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थी सं0 2 से संधि कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जबकि इसी प्रकरण में तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा द्वारा रिपोर्ट देकर प. नं. 23/248 के किला नं. 2 में उत्तर से दक्षिण रास्ता का चालू होना दर्शाया है व किला नं. 9 व 12 में रास्ता बन्द होना दर्शाया है। रिपोर्ट में किला नं. 9 व 12 में रास्ता न होना नहीं बताया गया है बल्कि रास्ता का बन्द किया जाना बताया है। इसी रिपोर्ट में अपीलार्थीगण की भूमि में कोई रास्ता नहीं होना बताया गया है रिपोर्ट में अपीलार्थी की भूमि में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न होना बताया गया है व इस रास्ता जिसकी मांग की गई है कम दूरी का होना बताया हे। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता चालू नही होना बताया है। इस रिपोर्ट के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपना कोई अभिमत जाहिर नहीं किया है। इसके विपरीत प. नं. 23/248 के किला नं. 5, 6, 15 मे प. लाईन पर अपने भाई महावीर प्रसाद की भूमि में रास्ता प्राप्त करने का सुझाव दिया है व इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 बलराम का किला नं. 1 व अप्रार्थी विजयसिह का किला नं. 10 व अप्रार्थी प्रत्यर्थी सं0 6 का किला नं. 11 में पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाकर अपनी भूमि में प्रवेश किये जाने की स्थिति रखी है। ऐसे अनावश्यक बिन्दुओं पर विचार कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपरिपक्व विचारण का बोध करवाया है व अपने अधिकार क्षेत्र का गलत व मनमाना प्रयोग किया है। पटवारी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि मु. नं. 14 के किला नं. 5, 6, 15 में कोई रास्ता चल रहा हो। विचारण न्यायायल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो रास्ता मांगा जा रहा है वह किन आधारों पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। किलानं. 2 में अपीलार्थी ने रास्ता प्राप्त करने के आशये से ही अपने नाम से .038 व अपने भाई के नाम .013 हे. भूमि अर्जित की थी। इस प्रकार .051 है. भूमि किला नं. 2 में पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण रास्ता के प्रयोजनार्थ ही जरिये दानपत्र प्राप्त की थी। इसी प्रकार किला नं. 12 में अपीलार्थी ने .025 है. भूमि रास्ते के उद्देश्य से ही अर्जित की है। इस प्रकार किला नं. 2 जो गोलूवाला कैंचिया मुख्य सडक मार्ग के साथ है उसकी रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सम्बन्धी कुल .051 है. भूमि रास्ता के रूप में अर्जित की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को कोई भूमि नहीं देनी है। इसके बाद दक्षिणी बीघों में से किला नं. 9 में .051 है. व किला नं. 12 में .026 है. कुल .077 है. भूमि जो प्रत्यर्थी संख्या 2 की है में से रास्ता की मांग की है। जबकि इस 3 बीघा लम्बाई के रास्ता में इतनी ही भूमि अपीलार्थी व उसके भाई की भूमि छोड़ी हुई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जब अपीलार्थी के भाई से भूमि खरीद की थी तब उसे किला नं. 2, 9 व 12 में रास्ता स्वीकृत किये जाने की स्थित में प्रत्यर्थी सं0 2 को अवगत करवाया था तब प्रत्यर्थी संख्या 2 सहमत था बाद में वह मुकर गया।

9. अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा प्रस्तावित दोनों रास्तों की स्थिति पर विचार किया जावे तब भी किला नं. 1 ता 11 में प्रस्तावित रास्ता 4 बीघा लम्बाई का होगा जिसमें कुल .204 है. भूमि प्रयुक्त होगी। अन्य रास्ता जो कि किला नं. 5, 6, 15 में प्रस्तावित किया है उसमें 3 बीघा भूमि प्रयुक्त होगी और इस 3 बीघा भूमि में 153 है0 भूमि का मुआवजा अपीलार्थी को देना होगा, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को महज .077 है. भूमि के संबंध में निर्धारित राशि रास्ता को प्राप्त करने की स्थिति में प्रत्यर्थी को देनी होगी। इस प्रकार वादाधीन रास्ता सबसे उपयुक्त है।

10. रास्ता को प्राप्त करना अपीलार्थी जैसे कृषक का संवैधानिक अधिकार है एवं भूमि का वाणिज्यिक तौर पर कन्वर्जन करवाया जाना कृषि भूमि का अन्य उपयोग में आता है जो कि प्राईमरी न होकर सैकण्डरी है। कन्वर्जन होने की स्थित में अन्य कृषकां को आवागमन के अधिकार को अवरूद्ध नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

11. **विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि** विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। प्रार्थी द्वारा भूमि के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने बावजूद रेस्पोडे0 सं0 2 द्वारा अपनी भूमि संपरिवर्तित की करवाई को रोकने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। चक नं. 24 जेआरके के प. नं. 23/248 का किला नं. 2/1/.038 है. व किला नं. 21/.038 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज नहीं है। यह भूमि बलराम व औमप्रकाश द्वारा दान में दिये जाने व किला नं. 11/2/.076 है. भूमि प्रार्थी द्वारा राजेश पुत्र पृथ्वीराज व औमप्रकाश पुत्र मामराज को दान में दान में दी गई है। बलराम व औमप्रकाश द्वारा अपनी भूमि बैंक के पक्ष में रहन की गई होने के कारण बलराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व औमप्रकाश को रहन मुक्त करवाये बिना दानपत्र निष्पादित करवाने का कानून कोई अधिकार नहीं है ऐसा दानपत्र विधि विरूद्ध होने के कारण ही उस दानपत्र के आधार पर आज तक भूमि राजेश व औमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई। चरण सं0 4 में वर्णित भूमि प्रार्थी मनीराम के भाई महावीर प्रसाद के स्वामित्व की भूमि थी जो महावीर प्रसाद द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 03.05.2019 को मुझ अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय की गई है। प्रार्थी चक 24 जेआरके प. नं. 23/248 के किला नं. 2,9, 12 की भूम से कभी कोई आवागमन नहीं कर रहा है न ही उक्त भूमि का कभी प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में उपयेाग किया गयां। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अपनी भूमि के लिए प. नं. 22/248 के किला नं. 5, 6, 15, 16 में पुराने चले आ रहे रास्ते से ही आवागमन कर रहे है। अप्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। भूमि का बेचान दिनांक जरिये पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थी सं0 2 को किया गया तब किला नं. 9, 12 में किसी रूप में कोई रास्ता चालू नहीं था तथा दिनांक 03.05.2019 को महावीर प्रसाद द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के भाई औमप्रकाश को जरयि बैयनामा विक्रय की गई प. नं. 23/248 के किला नं. 2/2/.202, 3 की 0.455 है0. भूमि में किसी रूप में रास्ता चालू नहीं रहा है। अप्रार्थी सं0 1 व उसके भाई ओम प्रकाश ने अपने द्वारा खरीद की गई चक 24 जेआरके प. नं. 23/248 की .228 है0 भूमि का आपस में तबादला किया गया। दिनांक 20.06.2019 के तबादला में प्रार्थी सं0 2 को प. नं. 23/248 का किला नं. 2/2/.202, 2/.026 कुल .228 है. भूमि व औमप्रकाश को प. नं. 23/248 के किला नं. 8/.228 है. भूमि प्राप्त हुई इस प्रकार अप्रार्थी सं0 2 के नाम 24 जेआरके प. नं. 23/248 की कुल 0.987 है. भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थी सं0 2 ने प. नं. 23/248 की 0.761 है. भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु माननीय जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन किया हुआ है जिसकी कार्यवाही को रूकवाने के लिए बदनियति व लालच पैदा हो गया। संपरिवर्तन की कार्यवाही को रोकने के लिए सिविल न्यायाधीश पीलींगा मे एक सिविल वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कोई स्थगन प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपस में भूमि के दानपत्र निष्पादित किये तथा प्रार्थी व अन्य की भूमि में आवागमन हेतु चल रहे रास्ता की भूमि में रास्ते के स्थान पर फसल काश्त कर बंद कर दिया प्रार्थी ने अपने भाई महावीर प्रसाद व अपने भाई बलीराम , औमप्रकाश व अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

भतीजे विजयसिंह व राजेश की भूमि में से रास्ते की मांग नहीं की कर अप्रार्थी की भूमि के किला नं. 9 व 12 में रास्ता मांगा है जो महज संपरिवर्तन की कार्यवाही को रोकने के लिए ही मांगा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

12. रेस्पाडेण्ट संख्या 1 व 3 ता 5 ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करत हुए रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा।

13. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

14. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

15. अधीनस्थ न्यायलाय में अपीलाण्ट ने अपनी कृषि भूमि में आवागन हेतु चक 24 जेआरके के प. नं. 23/248 (15) किला नं. 2, 9, 12 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में 0.051 है. रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष मांगा है।

16. रेस्पोडेण्ट सं0 2 का कथन है कि अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु अपने भाई महावीर प्रसाद की भूमि जो पं. नं. 23/248 के किला नं. 4, 5, 6, 7 14, 15 में आवागमन हेतु सुविधाजनक हो सकता है तथा इसक अलावा प्रार्थी की भूमि के लिए प.नं. 23/248 के किला नं. 1, 10, 11 में भी रास्ता स्वीकृत हो सकता है। प्रार्थी ने अपने भाई महावीर प्रसाद व अपने भाई बलराम औमप्रकाश व अपने भतीजे विजयसिंह राजेश की भूमि में से रास्ते की मांग नही करते हुए रेस्पोडेण्ट की भूमि में से रास्ता मांगा जा रहा है जो कि केवल मात्र रेस्पोडेण्ट सं0 2 के भूमि को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही को रोकने के उद्देश्य से मांगा जा रहा है।

17. विचारण न्यायलाय ने यह अभिमत प्रकट करते हुए कि यदि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के उपयोग हेतु रास्ते की मांग करता तो उसकी भूमि के उपयोग हेतु प्रत्येक बीघा में 0.026 है. रास्ता पर्याप्त था परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रत्येक बीघा में .051 है. रास्ते की मांग मुरब्बा के किसी एक दिशा में नहीं करके मुरब्बा के मध्य में से करना प्रार्थी का दुराशय स्पष्ट करता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के लिए प. नं. 23/248 के किला नं. 2, 9, 12 प्रत्येक बीघा में .051 है. रास्ता किसी भी रूप में स्वीकृत करने का अधिकारी नहीं पाया गया होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया है साथ ही प्रार्थी को अपनी भूमि के लिए चक 24

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

जे.आर.के. के प. नं. 23/248 के किला नं. 5, 6, 15 अथवा प. नं. 23/248 के किला नं. 1, 10, 11 में रास्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रखा है।

18. अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है। धारा 251 क के तहत मुख्यतः तीन बिन्दूओं को देखा जाना है कि रास्ते की अत्यातिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं निकटतम रास्ता।

19. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट दिनाक 23.07.2019 संलग्न है। जिसमें अंकित है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 24 जेआरके के प. नं. 23/248 (15) कि. नं. 2 में उत्तर से दक्षिण चालू है तथा किलानं. 9 व 12 में बंद है मौके पर बाजरा की फसल काश्त है। बिन्दू संख्या 3 में अंकित है कि "पूर्व में रास्ता नहीं लगता है।" इसी प्रकार बिन्दू संख्या 4 में अंकित है कि "प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।"

20. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने हेतु यदि कोई रास्ता नही है तो रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की उपरोक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना कोई अभिमत जाहिर नहीं किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं लगता और अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 2 का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उसके द्वारा भूमि की संपरिवर्तन की कार्यवाही को राकने के लिए रास्ते का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अपीलार्थी एक कृषक है और प्रत्येक कृषक के लिए रास्ता एक संवैधानिक अधिकार है एवं भूमि का वाणिज्यिक तौर पर कन्वर्जन करवाया जाना कृषि भूमि का अन्य उपयोग में आता है जो कि प्राईमरी न होकर सैकण्डरी हौ। कन्वर्जन की कार्यवाही विचाराधीन होने की स्थिति अन्य कृषकों के आवागमन के अधिकार को अवरूद्ध नही किया जा सकता है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा याचित रास्ते की भूमि में आधीन भूमि अपीलाण्ट की शामिल है। नक्शे अनुसार अपीलाण्ट द्वारा याचित रास्ता ही निकटतम रास्ता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

21. अतः अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने, रास्ते की अत्यातिक आववश्यकता होने एवं वांछित रास्ता निकटतम रास्ता होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2019 अपास्त किये जाने योग्य है एवं प्रार्थना–पत्र धारा 251– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

22. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2019 अपास्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट/प्रार्थी का अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है जाकर चक नं. 24 जेआरके के प. नं. 23/248 (15) किला नं. 2, 9, 12 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में प्रत्येक में 0.045 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 2 की रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी दर की दोगुनी राशि की गणना करते हुए संबंधित खातेदार को दिलाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.02 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: